



परिवारों के लिए जानकारी

Skills in Demand वीज़ा (सबक्लास 482) और Temporary Work (Skilled) वीज़ा (सबक्लास 457) के उन धारकों के लिए ट्यूशन फ़ीस, जिनके बच्चे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं।

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (WA) सरकार वर्तमान में उन Skills in Demand वीज़ा (सबक्लास 482) और Temporary Work (Skilled) वीज़ा (सबक्लास 457) धारकों के लिए फ़ीस में छूट प्रदान करती है, जिनके बच्चे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं।

वर्ष 2027 से, WA सरकार परिवारों के लिए सरकारी स्कूलों की ट्यूशन फ़ीस में छूट प्राप्ति तक पहुँच जारी रखने के लिए आय की जाँच (means test) दोबारा से शुरू करेगी। प्रति वर्ष \$90,000 से कम की संयुक्त आय वाले परिवार अपने आश्रित (डिपेंडेंट) बच्चों को WA के सरकारी स्कूल में बिना फ़ीस के दाखिला करा सकेंगे।

प्रति वर्ष \$90,000 से अधिक की संयुक्त आय वाले परिवारों को वार्षिक पारिवारिक ट्यूशन फ़ीस का भुगतान करना होगा। यह फ़ीस प्रति परिवार प्रति वर्ष केवल एक बार ही देनी होगी, फिर चाहे आपके कितने भी आश्रित (डिपेंडेंट) बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों न पढ़ रहे हों।

ट्यूशन फ़ीस और स्कूल के लिए स्वैच्छिक योगदान, शुल्क एवं अन्य फ़ीस

ट्यूशन फ़ीस प्रति परिवार प्रति वर्ष \$4000 है, चाहे आपके कितने भी बच्चे (प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक) सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हों। जिन परिवारों का सबसे बड़ा बच्चा किंडरगार्टन में पढ़ रहा है, उन्हें यह फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है।

आपको अपने बच्चों के स्कूलों को सीधे स्कूल के लिए स्वैच्छिक योगदान, शुल्क एवं फीस का भुगतान करने के लिए भी कहा जाएगा। ये भुगतान उन सभी परिवारों द्वारा किया जाता है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और इसका प्रत्येक दाखिल बच्चे के लिए प्रति वर्ष भुगतान किया जाता है।

ट्यूशन फ़ीस का भुगतान करना

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, TAFE इंटरनेशनल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (TAFE International Western Australia), शिक्षा विभाग (Department of Education) की ओर से ट्यूशन फ़ीस का इनवॉइस बनाने और उसे एकत्रित करने का प्रबंधन करता है। प्रत्येक स्कूल वर्ष की शुरुआत में (या जब आप अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराते हैं), आपको डाक या ईमेल के माध्यम से \$4000 (या आनुपातिक) की फीस संबंधी सलाह प्राप्त होगी। आप ट्यूशन फ़ीस का पूरा भुगतान एक ही बार में, या फिर पूरे साल के दौरान डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से किश्तों में भुगतान कर सकते/ती हैं। आप अपनी फ़ीस संबंधी सलाह में दिए गए विशिष्ट लिंक का इस्तेमाल करके, BPoint के माध्यम से फ़ीस का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते/ती हैं। जिस साल में इनवॉइस जारी किया गया है, उसके समाप्त होने से पहले पूरा भुगतान प्राप्त हो जाना चाहिए। पिछले वर्षों की कोई भी शेष या बकाया ट्यूशन फ़ीस का भुगतान नई फ़ीस के साथ करने की आवश्यकता है।

अब ट्यूशन फ़ीस का भुगतान नहीं करना होगा

आपको ट्यूशन फ़ीस का भुगतान नहीं करना होगा, यदि:

- आपको परमानेंट रेज़िडेन्स (स्थायी निवास) मिल जाता है;
- आपके बच्चे सरकारी स्कूल प्रणाली को छोड़ देते हैं; या
- आपके वीज़ा की स्थिति बदल जाती है।

इनमें से कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर, आपको अपने प्रत्येक बच्चे के स्कूल को सूचित करने की आवश्यकता है। इससे फीस संबंधी सही सलाह जारी होना और आपकी पात्रता के अनुसार आपको रिफंड मिलना सुनिश्चित हो जाएगा।

यदि आप पहले 457 या 482 वीज़ा पर थे, लेकिन अब ब्रिजिंग वीज़ा पर हैं, तो आपको ट्यूशन फ़ीस का भुगतान करते रहने की ज़रूरत है। ब्रिजिंग वीज़ा आपके मुख्य 457 या 482 वीज़ा की शर्तों और अधिकारों को नहीं बदलता है।

फीस में छूट या कटौती

यदि आप 457 या 482 वीज़ा धारक हैं, तो आप अपनी ट्यूशन फ़ीस में कटौती या छूट प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते/ती हैं। आवेदन उस वर्ष के भीतर ही किया जाना चाहिए जिस वर्ष फ़ीस का भुगतान किया गया है। पिछले वर्षों की ट्यूशन फ़ीस के लिए फ़ीस में छूट प्राप्ति के लिए आवेदन अब जमा नहीं किए जा सकेंगे।

फीस में छूट या कटौती प्राप्ति के लिए दो तरह के आवेदन होते हैं:

परिवार की कुल संयुक्त आय

परिवार की कुल संयुक्त आय से तात्पर्य माता-पिता दोनों द्वारा प्राप्त कुल कर-योग्य आय से है, जो कर एवं अन्य कटौतियों से पहले प्राप्त होती है। इसमें ओवरटाइम या बोनस भुगतान से होने वाली आय भी शामिल है। यदि कैलेंडर वर्ष के दौरान परिवार की कुल आय \$90,000 या उससे कम है, तो आपको ट्यूशन फ़ीस में पूरी छूट मिल सकती है।

आपको परिवार की कुल संयुक्त आय के आकलन के लिए प्रमाण प्रदान करने की ज़रूरत होगी। आपके और आपके पार्टनर के प्रमाण में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए:

- तीन सबसे हालिया पे-स्लिप;
- साल की अब तक की आय का प्रमाण;
- PAYG या ग्रुप सर्टिफ़िकेट में बताई गई आय; और
- 457 या 482 वीज़ा ग्रांट नोटिस या गारंटीकृत आय वाला आपका रोजगार अनुबंध (कंट्रैक्ट)।

वित्तीय परिस्थितियों में अप्रत्याशित बदलाव

यदि वित्तीय परिस्थितियों में अप्रत्याशित बदलाव के कारण, ट्यूशन फ़ीस का भुगतान करने की आपकी क्षमता प्रभावित होती है, तो ट्यूशन फ़ीस में पूर्ण या आंशिक रूप से छूट प्रदान की जा सकती है। इन परिस्थितियों के घटित होने के छह महीने के भीतर, आपको उस अप्रत्याशित परिस्थिति का प्रमाण प्रदान करने और यह बताने की ज़रूरत होगी कि इससे ट्यूशन फ़ीस भरने की आपकी क्षमता कैसे प्रभावित हुई है।

अप्रत्याशित परिस्थिति में बीमारी, रोज़गार की शर्तों में बदलाव, परिवार का टूटना या मृत्यु शामिल हो सकती है।

अप्रत्याशित परिस्थितियों में ये शामिल नहीं हैं:

- इस ट्यूशन फ़ीस या स्कूल की अन्य फ़ीस का भुगतान करने की आवश्यकता;
- परमानेंट रेज़िडेन्स (स्थायी निवास) के लिए आवेदन करना;
- पारिवारिक जीवन व्यय, जैसे किराया, स्वास्थ्य बीमा या ऋण भुगतान; या
- अन्य बच्चों या किसी वयस्क छात्र की शिक्षा के लिए भुगतान करना।

रोज़गार में किसी भी तरह का बदलाव, मुश्किल हालात के लिए किए गए आपके आवेदन को प्रभावित कर सकता है। आपको सभी तरह के भुगतान किए गए कार्यों से अपनी और अपने पार्टनर की प्राप्त कुल आय की जानकारी देनी होगी। आपको रोज़गार से हटाए जाने या रिडन्डन्सी के पत्र, नौकरी की आखिरी पे-स्लिप प्रदान करने चाहिए या इस बारे में जानकारी देनी चाहिए कि आप या आपके पार्टनर कितने समय से बेरोज़गार हैं।

फ़ीस में छूट के सभी आवेदनों पर मामला-दर-मामला विचार किया जाता है। जब आप TAFE इंटरनेशनल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा कराते/ती हैं तो उसके चार से छह सप्ताह के बीच आपको आपके आवेदन के परिणाम के बारे में सूचित किया जाएगा।

फ़ीस में छूट प्राप्ति के लिए प्रति वर्ष नया आवेदन भरने की आवश्यकता है। जब ट्यूशन फ़ीस में छूट दी जाती है, तो यह केवल उस अवधि के लिए ही लागू होगी जब आप फ़ीस का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। फ़ीस में छूट अगले स्कूल वर्ष के लिए लागू नहीं रहती है।

फ़ीस में छूट प्राप्ति के लिए आवेदन करने या और अधिक जानकारी पाने के लिए, कृपया यहाँ जाएँ:

www.tafeinternational.wa.edu.au/TSS